Test Audit Report of I.C.C.R.

2720. Shri Brij Raj Singh:
Shri Bade:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Test Audit Reports for two months for the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 of the Indian Council for Cultural Relations have been received by Government;

(b) if so, whether Government have found serious irregularities concerning financial and administrative matters;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, who is responsible for the irregularities and the action Government propose to take against him;

(d) whether the said Test Audit Reports will be placed on the Table; and

(e) whether Government propose to have the accounts for the remaining ten months of the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 audited?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) Inspection Reports based on the test audit of the accounts of the Indian Council for Cultural Relations for the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 have been received.

(b) and (c). There were irregularities but they were not of serious nature. The I.C.C.R. has been requested to be more careful in future.

(d) It is not the practice to place such Reports on the Table.

(e) No, Sir.

Allocation of Funds for Education to Mysore State

2721. Shri H. C. Linga Reddy: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount made available to the Mysore Government under the Head "Education" during the Third Five Year Plan period;

(b) the amount actually expended alongwith the reasons for the shortfall in expenditure;

(c) the amount made available for Compulsory Primary Education in the State during the Third Five Year Plan; and

(d) the amount now proposed to be allotted during the Fourth Plan period?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) The total outlay on Education in the State Third Five Year Plan was Rs. 20.5572 crores.

(b) The State Government has reported an expenditure of Rs. 16.4026 crores. The shortfall, according to the State Government, is mainly due to reduced budget provision on account of the national emergency in 1962.

(c) Rs. 6.644 crores.

(d) Discussions with the State Government about the Fourth Plan are still in progress.

भ्रष्टाचार निरोधक विभागीय समितियां

2722. श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विभागीय समितियां स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें भी ऐसा करने के लिये सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वे कब ऐसा करेंगी; और

(घ) इन समितियों के सदस्य कौन कौन होंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क), से (घ). संथानम समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/उपक्रम के बारे में इस बात का गहराई के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए कि वहां कितना और किस प्रकार का भ्रष्टाचार सम्भव है और यदि उसे रोकने तथा दूर करने के लिए कोई उपाय बताये गये हैं तो वे क्या हैं और कितने प्रभावशाली हैं। सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया और मंत्रालयों/विभागों को इस निर्णय के लागू करने के लिए कहा। इस निर्णय के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनेक अध्ययन दल/विभागीय समितियां स्थापित की गई हैं। अध्ययन दलों/विभागीय समितियों की सदस्यता प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

(ङ) संथानम समिति का प्रतिवेदन यथोचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था। उनके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की गई।

उड़ीसा में खानों का बन्द किया जाना

2723. श्री शिन्करे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की पांच खानों की मालिक, मेसर्स एम० ए० तालीब एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को अन्य रोजगार दिये बिना इन खानों को बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप 1500 व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। ये खानें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के आदेशानुसार 27-7-1960 से बन्द हैं।

(ख) इन पांच खानों में लगभग 1,300 व्यक्ति काम कर रहे थे। ऐसे अधिकांश कर्मचारियों को, जो कि साप्ताहिक वेतन पर काम कर रहे थे, आस-पास की खानों में नियुक्त होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) इन खानों के बन्द होने की सूचना प्राप्त होने पर, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों ने खानों का दौरा किया और उन्हें पता चला कि संबंधित रिकार्ड छीन लिये गये थे और सभी दफ्तर रिसीवर के आदेशानुसार सील कर दिये गये। रिकार्ड के अभाव में वह श्रमिकों की बकाया राशि का भी अनुमान नहीं लगा सके। जिन श्रमिकों और श्रमिक संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया गया, वे भी इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दे सके। प्रादेशिक श्रमायुक्त, कलकत्ता इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।

Settlement of Ex-Servicemen in N.E.F.A.

2725. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to S.Q. No. 718 on the 23rd March, 1966 and state the steps taken to implement the schemes prepared for the settlement of ex-servicemen in Tripura and N.E.F.A.?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):

Tripura

Under the Tripura scheme, 500 families of ex-servicemen are to be settled in two compact blocks of 250 families each. Sites for the two blocks have been selected and in respect of one of them plots of land for allotment have been parcelled out, 60 ex-servicemen from Tripura have been